

20/3/21

पनावली पेस डई) वकील पनावली
बाजिल अलिबखर अमपनावली
की मांग 0-18-2-17 एवं 0-19-
-2-1, 2, 0-47-2-1 व 2 बाकी 15)
पर लफ्त लुगी वामी। वकील
पतिवारी ने मांग 0-18-2-17
एवं 0-19-2-1, 2 व 0-47-2-1 व 2
में अंकित वधों का इतिहास करते
हुए निवेदन किया कि पतिवारी व
अलिबखर जो कि शेक से न्यायलय
में पेशी करने के लिए आते थे,
वे किन दिनांक 11/8/21 को दो
'न्यायलयों' में अफ प्रकरणों में
उपस्थित होने के कारण साथ ही
न्यायलय हाजा में उपस्थित नहीं
हो सके। पतिवारी जखन उक्त
दिनांक को न्यायलयों अपने अलिबखर
की इतजाह बरती रही। अतः
उक्त अलिबखर साथ ही
आने के कारण यात्री न्यायलय
हाजा द्वारा पतिवारी की साथ कर
कर दी गई। पतिवारी वकील वस्तुका
की न्यायलय व अलिबखर से
अन्कार, अनमिस्त है। पतिवारी अतः
दिनांक को अपने साथ प्रस्तुत करने
हुए तैयार व तैयार थे। लेकिन
पतिवारी व अलिबखर के नहीं
आने के कारण उपाय लेना पड़े

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

उक्त पत्रकारों के लक्ष्य की संरक्षण
मनोभोज के निमित्त कानून विभागाधीन
पत्रकारों के संरक्षण हेतु के आदेश के
अनुसंधान के निमित्त आदेश प्रमाणित
0-18-2-17 एवं 0-19-2-1,2
व 0-47-2-1 व 2 के अन्तर्गत
जो न्यायालय स्थित नहीं प्रमाणित
है। अतः आदेश 0-18-2-17 एवं
0-19-2-1,2 व 0-47-2-1 व 2
आदेशों के अन्तर्गत किया जाता है।
पत्रकारों के लक्ष्य के अन्तर्गत
निहित आदेशों के प्रमाणित

सहायक कमिश्नर
(फास्टट्रेक) निवाड़